

अनुदान संख्या 95 - अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 95-ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	1,00	90	-10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1808,28,00	1908,90,00	1888,93,63
पूरक	Supplementary	100,62,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	993,09,00	916,90,74	-76,18,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			66,74,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (1996.37 लाख रु.) मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 10062.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 20 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1996.37 lakhs) constituted 20 percent of the supplementary grant of Rs.10062.00 lakhs obtained in March, 2010 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
क-गह मंत्रालय	A-Ministry of Home Affairs			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	282.00	430.48	427.74
पु.	R.	148.48		
				-2.74
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"			
पुलिस	Police			
मू.	O.	11067.00	11118.46	11084.15
पू.	S.	214.00		
पु.	R.	-162.54		
				-34.31
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"			
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services			
मू.	O.	2420.00	4030.81	4017.21
पू.	S.	1100.00		
पु.	R.	510.81		
				-13.60
मुख्य शीर्ष "2245"	Major Head "2245"			
प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	Relief on Account of Natural Calamities			
मू.	O.	161.00	3975.80	3971.68
पू.	S.	215.00		
पु.	R.	3599.80		
				-4.12
ख-कृषि मंत्रालय	B-Ministry of Agriculture			
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"			
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry			
मू.	O.	3584.00	2916.00	2889.37
पू.	S.	10.00		
पु.	R.	-678.00		
				-26.63

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2403" पशु पालन	Major Head "2403" Animal Husbandry			
मू.	O.	4535.00		
पू.	S.	2.00	4221.85	4100.83
उ.	R.	-315.15		-121.02
मुख्य शीर्ष "2405" मछली पालन	Major Head "2405" Fisheries			
मू.	O.	834.00		
पू.	S.	60.00	860.15	804.97
उ.	R.	-33.85		-55.18
मुख्य शीर्ष "2425" सहकारिता	Major Head "2425" Co-operation			
मू.	O.	548.00		
पू.	S.	52.00	510.59	488.02
उ.	R.	-89.41		-22.57
ग-ग्रामीण विकास मंत्रालय	C - Ministry of Rural Development			
मुख्य शीर्ष "2029" भू राजस्व	Major Head "2029" Land Revenue			
मू.	O.	398.00		
पू.	R.	109.63	507.63	503.46
				-4.17
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति और सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	2525.00		
पू.	S.	79.00	2226.00	2207.76
उ.	R.	-378.00		-18.24

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Head Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	4884.00	4609.67	4582.23	-27.44
पु.	R.	-274.33			
घ-विद्युत मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2801" विद्युत	D-Ministry of Power Major Head "2801" Power				
मू.	O.	23859.00	19355.57	19186.65	-168.92
पु.	R.	-4503.43			
च-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2406" वानिकी तथा वन्य जीव	F - Ministry of Environment and Forests Major Head "2406" Forestry and Wild Life				
मू.	O.	6154.00	9305.12	9224.67	-80.45
पू.	S.	1870.00			
पु.	R.	1281.12			
छ-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	G - Ministry of Food Processing Industries Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	2631.00	2792.00	2791.30	-0.70
पु.	R.	161.00			

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
झ-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	I - Ministry of Health and Family Welfare			
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health			
मू.	O. 9371.00	11214.43	11062.00	-152.43
पू.	S. 1300.00			
पु.	R. 543.43			
ट-विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	J - Department of School Education and Literacy			
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education			
मू.	O. 13019.00	15208.68	15093.64	-115.04
पू.	S. 1630.00			
पु.	R. 559.68			
ड-उच्च शिक्षा विभाग	K - Department of Higher Education			
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education			
मू.	O. 10493.00	11434.26	11373.24	-61.02
पू.	S. 500.00			
पु.	R. 441.26			
मुख्य शीर्ष "2203" तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education			
मू.	O. 786.00	943.52	940.98	-2.54
पु.	R. 157.52			
ठ - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	L - Ministry of Women and Child Development			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare			
मू.	O. 477.00	612.70	597.58	-15.12
पू.	S. 194.00			
पु.	R. -58.30			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
शीर्ष	Head			
ढ-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	N – Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योग तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals			
मू.	O.	5.00		
पू.	S.	40.00	20.00	19.99
पु.	R.	-25.00		-0.01
द-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	R - Ministry of Road Transport and Highways			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services			
मू.	O.	852.00	1123.80	1103.81
पु.	R.	271.80		-19.99
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क और सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges			
मू.	O.	7165.00	6701.90	7012.21
पु.	R.	-463.10		+310.31
घ-पोत-परिवहन मंत्रालय	S - Ministry of Shipping			
मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Major Head "3051" Ports and Light Houses			
मू.	O.	10135.00	9500.49	8884.43
पू.	S.	116.00		-616.06
पु.	R.	-750.51		
मुख्य शीर्ष "3052" पोत-परिवहन	Major Head "3052" Shipping			
मू.	O.	27094.00	27494.00	27394.30
पू.	S.	1378.00		-99.70
पु.	R.	-978.00		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
प-नागर विमानन मंत्रालय मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	U - Ministry of Civil Aviation Major Head "3053" Civil Aviation			
मू.	O.	3100.00	4423.88	4423.46
पू.	S.	607.00		
उप.	R.	716.88		
फ-पर्यटन मंत्रालय मुख्य शीर्ष "3452" पर्यटन	V-Ministry of Tourism Major Head "3452" Tourism			
मू.	O.	845.00	1100.00	1066.61
पु.	R.	255.00		
ब-संस्कृति मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2205" कला और संस्कृति	W-Ministry of Culture Major Head "2205" Arts and Culture			
मू.	O.	189.00	283.01	259.15
पू.	S.	90.00		
उप.	R.	4.01		
भ-शहरी विकास मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	X - Ministry of Urban Development Major Head "2059" Public Works			
मू.	O.	15156.00	15144.30	14831.51
पु.	R.	-11.70		
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	1332.00	1131.87	1137.04
पु.	R.	-200.13		

(I) 609.15 लाख रु. का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 359.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2515" - निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत राशि का विशेष कार्यक्रम के लिए उद्दिष्ट होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" - "विशेष पुलिस - सशस्त्र पुलिस" - 805.40 लाख रु. के मूल प्रावधान को 67.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 872.40 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 136.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) छुट्टी यात्रा रियायत/निःशुल्क समुद्री यात्रा से संबंधित कम बिल प्राप्त होने, पूर्तिकारों से सामान की प्राप्ति में विलंब होने और टेलीफोन, जल प्रभार और पीओएल बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2405" -

(क) "समुद्री मछली पालन - तटीय समुद्री मछली पालन विकास" - 105.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 40.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 145.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 69.65 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - जनजातीय क्षेत्र में विकास" - 23.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 43.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 22.16 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) लकड़ी की कमी की वजह से इंजनयुक्त डोंगी के विनिर्माण में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.609.15 lakhs remained wholly unutilised under sixteen heads; of these Rs.359.00 lakhs alone accounted for under the Major Head "2515" - "Direction and Administration - National Rural Employment Guarantee Programme" - due to amount being earmarked for special programme.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2055" - "Special Police - Armed Police" - the original provision of Rs.805.40 lakhs was augmented to Rs.872.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.67.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.136.00 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less bills towards leave travel concession/free sea passage, delay in receipt of stores from the suppliers and non-receipt of telephone, water charges and POL bills.

(B) Major Head "2405" -

(a) "Marine Fisheries - Development of Coastal Marine Fisheries" - the original provision of Rs.105.00 lakhs was augmented to Rs.145.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.40.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.69.65 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of application from beneficiaries and economy measures.

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Development in Tribal Area" - the original provision of Rs.23.00 lakhs was augmented to Rs.43.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.22.16 lakhs (including supplementary grant) - due to delay in manufacture of engine fitted dinghy owing to shortage of wood.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" -

(क) "जिला पुलिस - जिला पुलिस का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" - 420.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 58.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 478.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो संबंधित एजेंसियों से कुछ विधि प्रभार बिल प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 42.15 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण - पुलिस मोटर परिवहन" - 72.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 97.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पूर्तिकारों से सामान की प्राप्ति में विलंब होने और बिजली प्रभार बिलों के प्राप्त न होने के कारण 11.41 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2401" - "पौध संरक्षण - पौधे संरक्षण स्कीम" - 196.36 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 206.36 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो समूह 'घ' कर्मचारियों को ग्रेड वेतन बकायों की अदायगी न किए जाने के कारण 6.56 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "2425" - "सूचना और प्रचार - प्रचार" - 41.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 52.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 93.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण 16.42 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2055" -

(a) "District Police - Strengthening and Modernisation of District Police" - the original provision of Rs.420.00 lakhs was augmented to Rs.478.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.58.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.42.15 lakhs - due to non-receipt of some legal charges bills from the concerned agencies and economy measures.

(b) "Modernisation of Police Force - Police Motor Transport" - the original provision of Rs.72.00 lakhs was augmented to Rs.97.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.11.41 lakhs - due to delay in receipt of stores from the suppliers and non-receipt of electric charges bills.

(B) Major Head "2401" - "Plant Protection - Plant Protection Scheme" - the original provision of Rs.196.36 lakhs was augmented to Rs.206.36 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6.56 lakhs - due to non-payment of grade pay arrears to Group 'D' staff.

(C) Major Head "2425" - "Information and Publicity - Publicity" - the original provision of Rs.41.00 lakhs was augmented to Rs.93.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.52.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.16.42 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(घा) मुख्य शीर्ष "2210" - "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और औषधालय - अन्य अस्पताल" - 1582.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1882.60 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, स्टाफ नर्सों तथा समूह 'घ' कर्मचारियों के ग्रेड वेतन बकायों की अदायगी न किए जाने के कारण 255.05 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ड) मुख्य शीर्ष "2202" -

(क) "प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान" - 237.75 लाख रु. के मूल प्रावधान को 55.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 292.75 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो दावे प्राप्त न होने के कारण 42.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा - गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान" - 320.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 62.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 382.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, निर्मला विद्यालय के शिक्षकों के वेतन का आहरण न किए जाने के कारण 7.58 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अन्य स्कीमें" - 524.11 लाख रु. के मूल प्रावधान को 22.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 546.11 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो आश्वासित करियर प्रोन्नति निर्धारण में असंगति की वजह से बकायों की अदायगी न किए जाने के कारण 5.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(चा) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - महिलाओं का कल्याण - विधवाओं/परित्यक्त महिलाओं को भत्ता" - 206.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 80.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 286.00 लाख रु. कर दिया

(D) Major Head "2210" - "Rural Health Services - Allopathy - Hospital and Dispensaries - Other Hospitals" - the original provision of Rs.1582.60 lakhs was augmented to Rs.1882.60 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.300.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.255.05 lakhs - due to non-payment of grade pay arrears of staff nurses and Group D staff.

(E) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education - Teachers Training - Teachers Training Institute" - the original provision of Rs.237.75 lakhs was augmented to Rs.292.75 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.55.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.42.10 lakhs - due to non-receipt of claims.

(b) "Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools - Grants-in-aid to Private Schools" - the original provision of Rs.320.00 lakhs was augmented to Rs.382.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.62.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.7.58 lakhs - due to non-drawal of salary for teachers of Nirmala School.

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Other Schemes" - the original provision of Rs.524.11 lakhs was augmented to Rs.546.11 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.22.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.5.10 lakhs - due to non-payment of arrears owing to anomaly in assured career progression fixation.

(F) Major Head "2235" - "Social Welfare - Women's Welfare - Allowances to Widows/ Deserted Women" - the original provision of Rs.206.00 lakhs was augmented to Rs.286.00 lakhs by obtaining supplementary grant of

गया, तथापि, जो आवेदकों की संख्या कम होने के कारण 18.41 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(छा) मुख्य शीर्ष “2885” - “पिछले क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता - उद्योगों को परिवहन आर्थिक सहायता” - 5.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 40.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 45.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो अयोग्यता की वजह से इकाईयों द्वारा मांगी गई आर्थिक सहायता की उच्च राशि को स्वीकृत न किए जाने के कारण 25.01 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(जा) मुख्य शीर्ष “3051” - “लघु पत्तन - पत्तन प्रबंधन - पत्तन स्थापना” - 2047.10 लाख रु. के मूल प्रावधान को 116.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2163.10 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो गलत वेतन निर्धारण किए जाने और छुट्टी यात्रा रियायत दावों का निपटान न किए जाने के कारण 71.39 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(झा) मुख्य शीर्ष “3052” - “तटीय पोत परिवहन - पोत परिवहन सेवाएं” -

(क) “मुख्य भूमि का परिचालन प्रभार - अंतर्देशीय पोत” - 3500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3700.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 86.54 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ख) “भारतीय पोत परिवहन निगम को अदायगी” - 14600.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1178.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 15778.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 953.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

Rs.80.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.18.41 lakhs - due to less number of applicants.

(G) Major Head “2885” - “Development of Backward Areas - Subsidies - Transport Subsidies to Industries” - the original provision of Rs.5.00 lakhs was augmented to Rs.45.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.40.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.25.01 lakhs - due to disallowing of higher amount of subsidy claimed by the units owing to ineligibility.

(H) Major Head “3051” - “Minor Ports - Port Management - Port Establishment” - the original provision of Rs.2047.10 lakhs was augmented to Rs.2163.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.116.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.71.39 lakhs - due to incorrect pay fixation and non-clearance of leave travel concession claims.

(I) Major Head “3052” - “Coastal Shipping - Shipping Services” -

(a) “Operational Charges of Mainland - Islands Vessels” - the original provision of Rs.3500.00 lakhs was augmented to Rs.3700.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.86.54 lakhs; and

(b) “Payment to S.C.I.” - the original provision of Rs.14600.00 lakhs was augmented to Rs.15778.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1178.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.953.00 lakhs.

Savings under the above two heads were due to economy measures.

(ज) मुख्य शीर्ष "2205" - "कला और संस्कृति का संवर्धन" - अन्य स्कीमें" - 76.96 लाख रु. के मूल प्रावधान को 90.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 166.96 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पंचायती राज संस्था को सहायता अनुदान जारी न किए जाने के कारण 13.54 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2401" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत - कृषि निविष्टियों का वितरण" - 125.00 लाख रु. की बचत (230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नीतिगत निर्णय की वजह से जिला परिषद के बजाय कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" - 694.24 लाख रु. की बचत (1331.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2403" - "अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 105.34 लाख रु. की बचत (2200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ लाभार्थियों द्वारा प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2215" - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - पाइप द्वारा ग्रामीण जल पूर्ति" - 316.68 लाख रु. की बचत (1865.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(VII) मुख्य शीर्ष "3054" - "जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - ग्रामीण सड़कें" - 338.22 लाख रु. की बचत (1525.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(J) Major Head "2205" - "Promotion of Art and Culture - Other Schemes" - the original provision of Rs.76.96 lakhs was augmented to Rs.166.96 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.90.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.13.54 lakhs - due to non-release of Grants-in-aid to Panchayati Raj Institution.

(IV) Under Major Head "2401" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Zilla Parishad/District Level Panchayat - Distribution of Agricultural Inputs" - saving of Rs.125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.230.00 lakhs) was due to procurement of fertilizers by Agriculture Department instead of Zilla Parishad owing to policy decision.

(B) "Other Expenditure - Rashtriya Krishi Vikas Yojana" - saving of Rs.694.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1331.00 lakhs) was due to non-implementation of the scheme.

(V) Under Major Head "2403" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.105.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2200.00 lakhs) was due to non-submission of claims for compensation by some of the beneficiaries.

(VI) Under Major Head "2215" - "Water Supply - Rural Water Supply Programme - Rural Piped Water Supply" - saving of Rs.316.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1865.00 lakhs); and

(VII) Under Major Head "3054" - "District and Other Roads - Road Works - Rural Roads" - saving of Rs.338.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1525.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्य की धीमी प्रगति होने, बिलों के प्राप्त न होने, निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(VIII) मुख्य शीर्ष "2801" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - अन्य व्यय - विद्युत की खरीद" - 8135.37 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभाग द्वारा पेट्रोल, तेल और स्नेहक की पूर्ति किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(IX) मुख्य शीर्ष "3051" - "लघु पत्तन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "गोदी बाड़ा तथा शुष्क नौघाट - सरकारी गोदी बाड़ा" - 928.87 लाख रु. की बचत (4797.99 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समयोपरि भत्ते पर नियंत्रण रखने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(खा) "पारक सेवाएं - अंतरद्वीपीय पारक सेवाएं" - 229.56 लाख रु. की बचत (1693.25 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(X) मुख्य शीर्ष "3052" - "तटीय पोत परिवहन - पोत परिवहन सेवाएं - सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत 241.87 लाख रु. की बचत (544.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोतों की मरम्मत की निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुईं।

(XI) मुख्य शीर्ष "2059" - "सामान्य - उचंत - स्टॉक" के अंतर्गत 224.75 लाख रु. की बचत (8400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने, सामग्री प्राप्त न होने, निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(XII) मुख्य शीर्ष "2215" - "जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका क्षेत्र के लिए जल पूर्ति कार्यक्रम" के अंतर्गत 194.96 लाख रु. की बचत (932.00

Savings under the above two heads were due to slow progress of work, non-receipt of bills, delay in finalization of tenders and economy measures.

(VIII) Under Major Head "2801" - "Diesel/Gas Power Generation - Other Expenditure - Purchase of Power" - saving of Rs.8135.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to supply of POL by the Department and economy measures.

(IX) Under Major Head "3051" - "Minor Ports" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Dockyards and Dry-docking - Government Dockyard" - saving of Rs.928.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4797.99 lakhs) was due to restriction in overtime allowance and economy measures.

(B) "Ferry Services - Inter Island Ferry Services" - saving of Rs.229.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1693.25 lakhs) was due to economy measures.

(X) Under Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.241.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.544.00 lakhs) was due to delay in finalization of tender for repair of ships.

(XI) Under Major Head "2059" - "General - Suspense - Stock" - saving of Rs.224.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8400.00 lakhs) was due to slow progress of work, non-receipt of material, delay in finalization of tender and economy measures.

(XII) Under Major Head "2215" - "Water Supply - Urban Water Supply Programme - Water Supply Programme to Port Blair Municipal

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(XIII) बारह शीर्षों के अंतर्गत 828.51 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3607.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2245" - "बाढ़, चक्रवात आदि - आनुग्रहिक राहत - अन्य मदें" के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मागों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3604.07 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह" - 145.74 लाख रु. का अधिक व्यय (282.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ईंधन/वाहनों के किराया प्रभारों, लेखन सामग्री और हेलीकाप्टर सेवाओं से संबंधित नागर विमानन के लंबित बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2070" - "होम गार्ड - स्थापना" - 479.63 लाख रु. का अधिक व्यय (1100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1489.70 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) मुख्य शीर्ष "2029" - "सर्वेक्षण और निपटान कार्य - सर्वेक्षण और निपटान" - 105.46 लाख रु. का अधिक व्यय (398.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घा) मुख्य शीर्ष "2801" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - अन्य बिजलीघर - विद्युत संयंत्र और अनुषंगी निर्माण कार्य" -

Area" - saving of Rs.194.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.932.00 lakhs) was due to slow progress of works.

(XIII) Under twelve heads, savings of Rs.828.51 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 54 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.3607.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "2245" - "Flood, Cyclones etc.- Gratuitous Relief - Other Items". Actual excess, however, was Rs.3604.07 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Andaman and Nicobar Islands" - excess of Rs.145.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.282.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards fuel/hire charges of vehicles, stationery and clearance of pending bill of Civil Aviation in connection with helicopter services.

(B) Major Head "2070" - "Home guards - Establishment" - excess of Rs.479.63 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1489.70 lakhs including supplementary grant of Rs.1100.00 lakhs);

(C) Major Head "2029" - "Surveys and Settlement Operations - Survey and Settlement" - excess of Rs.105.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.398.00 lakhs); and

(D) Major Head "2801" - "Diesel/Gas Power Generation - Other Power Houses - Power Plant and Ancillary Works" - excess of Rs.3480.05

3480.05 लाख रु. का अधिक व्यय (6389.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

(ड) मुख्य शीर्ष "2406" -

(क) "वानिकी" -

(i) "निर्देशन और प्रशासन - मुख्य वन संरक्षक" - 101.54 लाख रु. का अधिक व्यय (5.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 962.80 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "वन संरक्षण, विकास और पुनरुद्भवन" -

(1) "वन विकास" - 214.15 लाख रु. का अधिक व्यय (1148.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2750.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(2) "वन तथा तटीय पारिस्थितिकी पद्धति का संरक्षण" - 150.56 लाख रु. का अधिक व्यय (29.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 195.80 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) "वन उत्पाद - इमारती लकड़ी का परिवहन" - 401.38 लाख रु. का अधिक व्यय (17.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 807.65 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "पर्यावरण वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - वन्य जीव संरक्षण" - 185.15 लाख रु. का अधिक व्यय (468.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1681.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6389.75 lakhs).

Excess under the above three heads was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(E) Major Head "2406" -

(a) "Forestry" -

(i) "Direction and Administration - Chief Conservator of Forests" - excess of Rs.101.54 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.962.80 lakhs including supplementary grant of Rs.5.00 lakhs);

(ii) "Forest Conservation, Development and Regeneration" -

(1) "Forest Development" - excess of Rs.214.15 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2750.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1148.00 lakhs);

(2) "Protection of Forest and Coastal Eco-System" - excess of Rs.150.56 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.195.80 lakhs including supplementary grant of Rs.29.00 lakhs);

(iii) "Forest Produce - Transportation of Timber" - excess of Rs.401.38 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.807.65 lakhs including supplementary grant of Rs.17.00 lakhs); and

(b) "Environment Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Wildlife Protection" - excess of Rs.185.15 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1681.10 lakhs including supplementary grant of Rs.468.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने और रिक्त पदों के भरे जाने के कारण हुआ।

(चा) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - अधिप्राप्ति और पूर्ति - गेहूं की खरीद" - 137.72 लाख रु. का अधिक व्यय (223.76 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गेहूं का प्रतिमाह अतिरिक्त आबंटन किए जाने के कारण हुआ।

(छा) मुख्य शीर्ष "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(i) "निदेशन और प्रशासन - स्वास्थ्य सेवा निदेशालय" - 115.55 लाख रु. का अधिक व्यय (873.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने, अधिक लेखन सामग्री की खरीद किए जाने, टेलीफोन और आकस्मिक व्यय बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "अस्पताल तथा औषधालय - जी. बी. पंत अस्पताल" - 181.58 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 3543.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने और पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक, दवाई, चिकित्सीय उपकरणों की खरीद किए जाने और टेलीफोन बिलों और आकस्मिक (व्यय) बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - प्राथमिक स्वास्थ्य स्कीम" - 319.57 लाख रु. का अधिक व्यय (635.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2643.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने और पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक, दवाई, चिकित्सीय उपकरणों की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above five heads was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report and filling up of vacant posts.

(F) Major Head "2408" - "Food - Procurement and Supply - Purchase of Wheat" - excess of Rs.137.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.223.76 lakhs) was due to additional allocation of wheat per month.

(G) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy" -

(i) "Direction and Administration - Directorate of Health Services" - excess of Rs.115.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.873.30 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report, purchase of more stationery and clearance of telephone and contingent bills.

(ii) "Hospital and Dispensaries - G.B. Pant Hospital" - excess of Rs.181.58 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3543.00 lakhs including supplementary grant of Rs.200.00 lakhs) was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report, purchase of POL, medicine, medical equipments and clearance of telephone bills and contingent bills.

(b) "Rural Health Services - Allopathy - Primary Health Centres - Primary Health Scheme" - excess of Rs.319.57 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2643.50 lakhs including supplementary grant of Rs.635.00 lakhs) was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report and purchase of POL, medicine and medical equipments.

(जा) मुख्य शीर्ष "2202" -

(क) "प्रारंभिक शिक्षा - सरकारी प्राथमिक विद्यालय - प्राथमिक शिक्षा" - 433.93 लाख रु. का अधिक व्यय (1083.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 12812.11 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "माध्यमिक शिक्षा - सरकारी माध्यमिक विद्यालय - माध्यमिक विद्यालय" - 230.51 लाख रु. का अधिक व्यय (280.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 7792.12 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थान - जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर" - 139.03 लाख रु. का अधिक व्यय (54.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 750.14 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने और लंबित बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(झा) मुख्य शीर्ष "2203" - "पालिटेक्निक्स - पोर्ट ब्लेयर स्थित पालिटेक्निक्स" - 147.79 लाख का अधिक व्यय (760.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिथि प्राध्यापकों को नियुक्त किए जाने, संकाय सदस्यों और छात्रों के अधिक दौरे/प्रशिक्षण, कंप्यूटरों की अधिप्राप्ति और 125 बिस्तरों वाले छात्रों के होस्टल का निर्माण किए जाने के कारण हुआ।

(ज) मुख्य शीर्ष "2070" - "परिवहन की खरीद और रख रखाव - मरम्मत तथा रख रखाव" - 190.08 लाख रु. का अधिक व्यय (648.21 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

(H) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education - Government Primary Schools - Primary Education" - excess of Rs.433.93 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.12812.11 lakhs including supplementary grant of Rs.1083.00 lakhs);

(b) "Secondary Education - Government Secondary Schools - Secondary Schools" - excess of Rs.230.51 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.7792.12 lakhs including supplementary grant of Rs.280.00 lakhs); and

(c) "University Higher Education - Government College and Institutes - Jawaharlal Nehru Rajkeya Mahavidyalaya, Port Blair" - excess of Rs.139.03 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.750.14 lakhs including supplementary grant of Rs.54.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report and clearance of pending bills.

(I) Major Head "2203" - "Polytechnics - Polytechnics at Port Blair" - excess of Rs.147.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.760.00 lakhs) was due to appointment of guest lecturers, more tours/training of faculty members and students, procurement of computers and construction of 125 bedded boys hostel.

(J) Major Head "2070" - "Purchase and Maintenance of Transport - Repairs and Maintenance" - excess of Rs.190.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.648.21 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(टा) मुख्य शीर्ष "3054" - "जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - जिला सड़कें" - 186.43 लाख रु. का अधिक व्यय (1550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

(ठा) मुख्य शीर्ष "3052" - "तटीय पोत परिवहन - पोत परिवहन सेवाएं - अंतर द्वीपीय पोतों का परिचालन प्रभार" - 267.50 लाख रु. का अधिक व्यय (7613.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोतों की संपूर्ण मरम्मत के लिए अतिरिक्त पुर्जों की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(डा) मुख्य शीर्ष "3053" - "हवाई सेवाएं - अन्य व्यय" -

(क) "पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड को अदायगी" - 226.85 लाख रु. का अधिक व्यय (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "वायुयानों का परिचालन और रख रखाव" - 489.61 लाख रु. का अधिक व्यय (607.00 लाख रु. पूरक अनुदान सहित 1607.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड के बकाया देयों का निपटान किए जाने, ईंधन कीमत/विदेशी मुद्रा में वृद्धि होने और अतिरिक्त उड़ान के कारण हुआ।

(ढा) मुख्य शीर्ष "3452" - "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - पर्यटन निदेशालय" - 195.67 लाख रु. का अधिक व्यय (788.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने और अतिथि गृहों से संबंधित बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(III) आठ शीर्षों के अंतर्गत 608.40 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 156 प्रतिशत तक था।

(K) Major Head "3054" - "District and Other Roads - Road Works - District Roads" - excess of Rs.186.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1550.00 lakhs) was due to accelerated progress of work.

(L) Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Operational Charges of Inter-Islands Vessels" - excess of Rs.267.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7613.00 lakhs) was due to purchase of additional spares required for major overhauling of ships.

(M) Major Head "3053" - "Air Services - Other Expenditure" -

(a) "Payment to Pawan Hans Helicopter Ltd." - excess of Rs.226.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs); and

(b) "Operation and Maintenance of Air Craft" - excess of Rs.489.61 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1607.00 lakhs including supplementary grant of Rs.607.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to clearance of outstanding dues of Pawan Hans Helicopter Limited, hike in fuel price/foreign exchange and additional flying.

(N) Major Head "3452" - "General - Direction and Administration - Tourism Directorate" - excess of Rs.195.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.788.00 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report and settlement of bills pertaining to guest houses.

(III) Under eight heads excess of Rs.608.40 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 156 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
शीर्ष ख-कृषि मंत्रालय मुख्य शीर्ष "4405" मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Head B-Ministry of Agriculture Major Head "4405" Capital Outlay on Fisheries			
मू.	O.	1444.00		
पु.	R.	-226.70	1217.30	1215.08
				-2.22
ग-ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्य शीर्ष "4215" जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	C-Ministry of Rural Development Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	2435.00		
पु.	R.	737.10	3172.10	3172.10
				. .
घ-विद्युत मंत्रालय मुख्य शीर्ष "4801" विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	D-Ministry of Power Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects			
मू.	O.	13519.00		
पु.	R.	-2424.44	11094.56	11006.94
				-87.62
च-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मुख्य शीर्ष "4406" वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	F - Ministry of Environment and Forests Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wild Life			
मू.	O.	3130.00		
पु.	R.	474.74	3604.74	3600.99
				-3.75

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
ट-उच्च शिक्षा विभाग	K - Department of Higher Education			
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			
मू.	O.	241.00		
पु.	R.	267.81	508.81	505.45
				-3.36
द-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	R - Ministry of Road Transport and Highways			
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"			
सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges			
मू.	O.	8902.00		
पु.	R.	930.39	9832.39	9779.56
				-52.83
मुख्य शीर्ष "5055"	Major Head "5055"			
सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Road Transport			
मू.	O.	67.00		
पु.	R.	133.00	200.00	199.81
				-0.19
घ-पोत-परिहवन मंत्रालय	S - Ministry of Shipping			
मुख्य शीर्ष "5051"	Major Head "5051"			
पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Ports and Light Houses			
मू.	O.	6079.00		
पु.	R.	-4925.28	1153.72	1126.92
				-26.80

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "5052"	Major Head "5052"			
पोत-परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping			
मू.	O.	4900.00	953.00	948.15
पु.	R.	-3947.00		
प-नागर विमानन मंत्रालय	U - Ministry of Civil Aviation			
मुख्य शीर्ष "5053"	Major Head "5053"			
नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Civil Aviation			
मू.	O.	1000.00	385.00	363.26
पु.	R.	-615.00		
फ-पर्यटन मंत्रालय	V-Ministry of Tourism			
मुख्य शीर्ष "5452"	Major Head "5452"			
पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Tourism			
मू.	O.	3170.00	795.00	763.01
पु.	R.	-2375.00		
भ-शहरी विकास मंत्रालय	X - Ministry of Urban Development			
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"			
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police			
मू.	O.	1971.00	2658.44	2620.82
पु.	R.	687.44		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	1531.00	2511.84	2623.36
पु.	R.	980.84		
				+111.52
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services			
मू.	O.	190.00	440.00	416.41
पु.	R.	250.00		
				-23.59
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			
मू.	O.	1301.00	2516.71	2503.34
पु.	R.	1215.71		
				-13.37
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health			
मू.	O.	1356.00	1797.00	1782.24
पु.	R.	441.00		
				-14.76
मुख्य शीर्ष "4215" जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	1700.00	1800.00	1829.24
पु.	R.	100.00		
				+29.24

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing			
मू.	O. 34700.00	39851.00	39185.93	-665.07
पु.	R. 5151.00			
मुख्य शीर्ष "4401" फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry			
मू.	O. 287.00	148.00	147.07	-0.93
पु.	R. -139.00			
मुख्य शीर्ष "4403" पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4403" Capital Outlay on Animal Husbandry			
मू.	O. 822.00	685.00	611.84	-73.16
पु.	R. -137.00			
मुख्य शीर्ष "5052" पोत-परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping			
मू.	O. 550.00	642.00	631.84	-10.16
पु.	R. 92.00			
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport			
मू.	O. 425.00	872.00	864.32	-7.68
पु.	R. 447.00			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "5452"	Major Head "5452"			
पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Tourism			
मू.	O.	365.00	545.00	547.50
पु.	R.	180.00		
म-जल संसाधन मंत्रालय	Y - Ministry of Water Resources			
मुख्य शीर्ष "4702"	Major Head "4702"			
लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Minor Irrigation			
मू.	O.	461.00	361.50	343.83
पु.	R.	-99.50		
मुख्य शीर्ष "4711"	Major Head "4711"			
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Flood Control Projects			
मू.	O.	5409.00	1044.29	1042.15
पु.	R.	-4364.71		
1.	2851.20 लाख रु. का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 2500.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - पोतों की खरीद" के अंतर्गत भारतीय पोत परिवहन निगम द्वारा निविदाएं जारी करने को अंतिम रूप न दिए जाने और निर्णीत हर्जाना के मुद्दे को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।	(I)	Provision of Rs.2851.20 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these Rs.2500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "5052" - "General - Tribal Area Sub-Plan - Purchase of ships" - due to non-finalisation of tenders floated by Shipping Corporation of India and non-finalisation of liquidated damages issue.	
(II)	मुख्य शीर्ष "4405" - "अन्य व्यय - सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 152.92 लाख रु. की बचत (1368.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की	(II)	Under Major Head "4405" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.152.92 lakhs (against the sanctioned provision	

तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने, सामग्रियां प्राप्त न होने, निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “4801” - “सामान्य - अन्य व्यय - सूनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता” - 2449.41 लाख रु. की बचत (12700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभाग द्वारा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक की पूर्ति किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “5054” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(क) “राजकीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - अंडमान ट्रंक रोड के अतिरिक्त” - 439.69 लाख रु. की बचत (575.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) “सामान्य - अन्य व्यय - सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता” - 772.46 लाख रु. की बचत (4900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने, सामग्रियां प्राप्त न होने, निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “5051” - “सामान्य - अन्य व्यय - सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता” के अंतर्गत 5378.98 लाख रु. की बचत (5514.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तेरसा और कटचल स्थित परियोजनाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “5052” - “सामान्य - टनभार का अधिग्रहण तथा विस्तार - पोतों की खरीद” के अंतर्गत 1451.85 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य भूमि पोत प्रांगण में निर्माणाधीन जलयानों के संबंध में चरण समाप्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

of Rs.1368.00 lakhs) was due to slow progress of work, non-receipt of materials, delay in finalization of tender and economy measures.

(III) Under Major Head “4801” – “General - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes” – saving of Rs.2449.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12700.00 lakhs) was due to supply of POL by the Department and economy measures.

(IV) Under Major Head “5054” – savings occurred under the following heads:-

(a) “State Highways – Road Works - Other than Andaman Trunk Road” – saving of Rs.439.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.575.00 lakhs) was due to slow progress of work.

(b) “General - Other Expenditure – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme” – saving of Rs.772.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4900.00 lakhs) was due to slow progress of work, non-receipt of materials, delay in finalization of tender and economy measures.

(V) Under Major Head “5051” – “General – Other Expenditure – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme” – saving of Rs.5378.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5514.00 lakhs) was due to non-receipt of environmental clearance for projects at Terasa and Katchal Islands from the Ministry of Environment and Forests.

(VI) Under Major Head “5052” – “General - Acquisition and Expansion of Tonnage - Purchase of Ships” – saving of Rs.1451.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs) was due to non-receipt of stage completion certificate in respect of vessel under construction at mainland shipyard.

(VII) मुख्य शीर्ष "5053" - "विमान पत्तन - अन्य व्यय - वायुयानों का परिचालन तथा रख-रखाव" के अंतर्गत 636.74 लाख रु. की बचत (890.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खरीद के बजाय विमान पत्तन को पट्टे पर दिए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "5452" - "पर्यटक अवसंरचना - अन्य व्यय - सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 2361.78 लाख रु. की बचत (3100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम कम संख्या में शुरू किए जाने के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष "4055" - "विशेष पुलिस - भारतीय रिजर्व बटालियन" के अंतर्गत 267.17 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(X) मुख्य शीर्ष "4401" - "अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत 139.93 लाख रु. की बचत (287.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(XI) मुख्य शीर्ष "4403" - "अन्य व्यय - सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत 227.85 लाख रु. की बचत (592.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(XII) मुख्य शीर्ष "4711" - समुद्र अपरदन रोधी परियोजना - सिविल निर्माण कार्य - सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत 4449.92 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्य की धीमी प्रगति होने, सामग्री प्राप्त न होने, निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(XIII) मुख्य शीर्ष "4702" - "अन्य व्यय - सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत 117.41 लाख रु. की बचत (460.00 लाख रु. के स्वीकृत

(VII) Under Major Head "5053" - "Air Ports - Other Expenditure - Operation and Maintenance of Air Crafts" - saving of Rs.636.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.890.00 lakhs) was due to leasing of aircraft instead of purchase.

(VIII) Under Major Head "5452" - "Tourism Infrastructure - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.2361.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3100.00 lakhs) was due to less Tsunami rehabilitation programmes being undertaken.

(IX) Under Major Head "4055" - "Special Police - Indian Reserve Battalion" - saving of Rs.267.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs);

(X) Under Major Head "4401" - "Other Expenditure - Buildings" - saving of Rs.139.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.287.00 lakhs);

(XI) Under Major Head "4403" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.227.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.592.00 lakhs); and

(XII) Under Major Head "4711" - "Anti-Sea Erosion Project - Civil Works - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.4449.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to slow progress of work, non-receipt of materials, delay in finalization of tenders and economy measures.

(XIII) Under Major Head "4702" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.117.41 lakhs (against the sanctioned provision

प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) मुख्य शीर्ष "4215" - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति - ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति" - 865.63 लाख रु. का अधिक व्यय (835.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष "4406" - "वानिकी" -

(क) "वन संरक्षण, विकास और पुनरुदभवन - वनों का विकास" - 157.15 लाख रु. का अधिक व्यय (1986.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "संचार तथा भवन - भवन" - 109.82 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) मुख्य शीर्ष "4202" - "तकनीकी शिक्षा - पालिटेक्निक्स - विश्व बैंक की सहायता से तृतीय तकनीकी शिक्षा का सुदृढीकरण" - 250.47 लाख रु. का अधिक व्यय (221.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घा) मुख्य शीर्ष "5054" -

(क) "राजकीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - अंडमान ट्रंक रोड" - 759.73 लाख रु. का अधिक व्यय (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य" -

(i) "जिला सड़कें" - 256.28 लाख रु. का अधिक व्यय (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

of Rs.460.00 lakhs) was due to slow progress of works.

4.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4215" - "Water Supply - Rural Water Supply - Water Supply in Rural Areas" - excess of Rs.865.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.835.00 lakhs);

(B) Major Head "4406" - "Forestry" -

(a) "Forest Conservation, Development and Regeneration - Development of Forests" - excess of Rs.157.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1986.00 lakhs);

(b) "Communication and Building - Buildings" - excess of Rs.109.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) ;

(C) Major Head "4202" - "Technical Education - Polytechnics - Strengthening of Third Technician Education with World Bank Assistance" - excess of Rs.250.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.221.00 lakhs);

(D) Major Head "5054" -

(a) "State Highways - Road Works - Andaman Trunk Road" - excess of Rs.759.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs);

(b) "District and Other Roads - Road Works" -

(i) "District Roads" - excess of Rs.256.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs);

- (ii) "ग्रामीण सड़कें" - 950.86 लाख रु. का अधिक व्यय (1060.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ग) "सामान्य - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - सड़कों का निर्माण" - 222.84 लाख रु. का अधिक व्यय (217.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कार्य की त्वरित गति/अधिक कार्य का निष्पादन किए जाने के कारण हुआ।
- (ङ) मुख्य शीर्ष "5055" - "बेड़े का अधिग्रहण - सड़क परिवहन के लिए बसों की खरीद" - 149.81 लाख रु. का अधिक व्यय (50.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त बसों की खरीद किए जाने और पिछले वर्ष के दौरान खरीदी गई बसों और परिवहन लागत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (चा) मुख्य शीर्ष "5051" - "लघु पत्तन - अन्य छोटे पत्तन - पत्तन उपस्कर और मशीनरी" - 389.77 लाख रु. का अधिक व्यय (291.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की त्वरित प्रगति होने/अधिक कार्य का निष्पादन किए जाने और मशीनरी तथा उपस्कर की खरीद किए जाने के कारण हुआ।
- (छा) मुख्य शीर्ष "4055" -
- (क) "राज्य पुलिस - अन्य सिविल निर्माण कार्य" - 622.99 लाख रु. का अधिक व्यय (846.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) "पुलिस आवास - भवन" - 270.00 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (जा) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण" -
- (क) "सामान्य प्रशासन" - 359.08 लाख रु. का अधिक व्यय (613.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ii) "Rural Roads" - excess of Rs.950.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1060.00 lakhs); and
- (c) "General - Tribal Area sub-Plan - Construction of Roads" - excess of Rs.222.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.217.00 lakhs).
- Excess under the above eight heads was due to accelerated progress of work/execution of more work.
- (E) Major Head "5055" - "Acquisition of Fleet - Purchase of Buses for Road Transport" - excess of Rs.149.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of additional buses and transportation cost of buses purchased during previous year.
- (F) Major Head "5051" - "Minor Ports - Other Small Ports - Ports Equipment and Machinery" - excess of Rs.389.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.291.00 lakhs) was due to accelerated progress of work/execution of more work and purchase of machinery and equipment.
- (G) Major Head "4055" -
- (a) "State Police - Other Civil Works" - excess of Rs.622.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.846.00 lakhs);
- (b) "Police Housing - Buildings" - excess of Rs.270.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs);
- (H) Major Head "4059" - "General - Construction" -
- (a) "General Administration" - excess of Rs.359.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.613.00 lakhs);

- (ख) “अन्य विभाग” - 453.18 लाख रु. का अधिक व्यय (378.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ग) “सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता” - 210.10 लाख रु. का अधिक व्यय (490.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (झा) मुख्य शीर्ष “4070” - “अन्य व्यय - भवन” - 226.41 लाख रु. का अधिक व्यय (190.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ज) मुख्य शीर्ष “4202” -
- (क) “सामान्य शिक्षा” -
- (i) “प्रारम्भिक शिक्षा - भवन” - 363.79 लाख रु. का अधिक व्यय (530.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ii) “माध्यमिक शिक्षा - भवन” - 280.00 लाख रु. का अधिक व्यय (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (iii) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - भवन” - 145.00 लाख रु. का अधिक व्यय (87.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) “तकनीकी शिक्षा - पालिटेक्निक - भवन” - 161.84 लाख रु. का अधिक व्यय (50.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ग) “कला और संस्कृति - अन्य व्यय - भवन” - 216.21 लाख रु. का अधिक व्यय (50.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (टा) मुख्य शीर्ष “4210” - “सामान्य” -
- (b) “Other Departments” – excess of Rs.453.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.378.00 lakhs);
- (c) “Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes” – excess of Rs.210.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.490.00 lakhs);
- (I) Major Head “4070” – “Other Expenditure – Building” – excess of Rs.226.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.190.00 lakhs);
- (J) Major Head “4202” –
- (a) “General Education” –
- (i) “Elementary Education - Buildings” – excess of Rs.363.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.530.00 lakhs);
- (ii) “Secondary Education – Buildings” – excess of Rs.280.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs);
- (iii) “University and Higher Education – Buildings” – excess of Rs.145.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.87.00 lakhs);
- (b) “Technical Education – Polytechnic – Buildings” – excess of Rs.161.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50.00 lakhs);
- (c) “Art and Culture – Other Expenditure – Buildings” – excess of Rs.216.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50.00 lakhs);
- (K) Major Head “4210” – “General” –

- (क) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना भवन” - 147.00 लाख रु. का अधिक व्यय (48.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) “अन्य व्यय - भवन” - 279.24 लाख रु. का अधिक व्यय (1006.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ग) मुख्य शीर्ष “4215” - “जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति - शहरी क्षेत्रों को जल पूर्ति” - 129.24 लाख रु. का अधिक व्यय (1700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (घ) मुख्य शीर्ष “4216” -
- (क) “सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - भवन” - 352.10 लाख रु. का अधिक व्यय (880.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) “सामान्य - अन्य व्यय - सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता” - 4103.83 लाख रु. का अधिक व्यय (33720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ङ) मुख्य शीर्ष “5052” - “सामान्य - अन्य व्यय - भवन” - 132.84 लाख रु. का अधिक व्यय (236.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ण) मुख्य शीर्ष “5055” - “भूमि तथा भवन - भवन” - 456.75 लाख रु. का अधिक व्यय (102.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (त) मुख्य शीर्ष “5452” - “पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - भवन” - 182.50 लाख रु. का अधिक व्यय (365.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (a) “Tribal Area Sub-Plan Buildings” – excess of Rs.147.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.48.00 lakhs);
- (b) “Other Expenditure - Buildings” – excess of Rs.279.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1006.00 lakhs);
- (L) Major Head “4215” – “Water Supply – Urban Water supply – Water Supply to Urban Areas” – excess of Rs.129.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1700.00 lakhs) ;
- (M) Major Head “4216” –
- (a) “Government Residential Buildings – General Pool Accommodation – Building” – excess of Rs 352.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.880.00 lakhs);
- (b) “General - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes” – excess of Rs.4103.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.33720.00 lakhs);
- (N) Major Head “5052” – “General - Other Expenditure - Buildings” – excess of Rs.132.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.236.00 lakhs);
- (O) Major Head “5055” – “Land and Buildings - Buildings” – excess of Rs.456.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.102.00 lakhs); and
- (P) Major Head “5452” – “Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Buildings” – excess of Rs.182.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.365.00 lakhs).

उपर्युक्त उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निर्माण कार्य की त्वरित प्रगति होने/ज्यादा निर्माण कार्य का निष्पादन किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above nineteen heads was due to accelerated progress of works/ execution of more works.

(II) दस शीर्षों के अंतर्गत 796.94 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत से 1900 प्रतिशत तक था।

(II) Under ten heads excess of Rs.796.94 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 16 percent to 1900 percent of the sanctioned provision.
